न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 156 / 2021 (RCMS 2021 / 183)

प्रार्थी

1. औंकारराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मांगली पत्नी बन्नाराम नायक निवासी शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी
2. मोहनराम पुत्र बन्नाराम नायक निवासी शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी
3. मेनका पुत्री रूघाराम
4. मन्दोरी पत्नी रूघाराम
5. मलकु पुत्री रूघाराम
6. राकेश पुत्र रूघाराम
7. ललिता पुत्री रूघाराम
8. शंकरलाल पुत्र रूघाराम जाट निवासी शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 से 8 की ओरस से।

आदेश

दिनॉक :– 28-01-2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम ओमपुरा पटवार मण्डल कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1208 / 645 रकबा 2.47 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के कब्जा सुदा खातेदारी की स्थित है, प्रार्थी का खेत औमपुरा के अन्तिम छोर पर स्थित है तथा प्रार्थी के खेत के पश्चात ग्राम शेषमा का बास की सीमा लगती है जो प्रार्थी के खेत के पश्चिमी दिशा में है तथा प्रार्थी शेषमा का बास का ही निवासी है, जिससे शेषमा का बास से अपने घर से औमपुरा में स्थित अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता नही है, प्रार्थी के खेत के खसरा नम्बर 1208 / 645 के पश्चिमी दिशा के पड़ौसी अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 का खेत स्थित [illegible] के खसरा नम्बर 256 / 175 रकबा 1.95 है, उक्त खसरा नम्बर के [illegible] संख्या 1 व 2 का खेत स्थित है जिसके खसरा नमबर 172 रकबा 1.25 हैक्टर है [illegible] वर्तमान में प्रार्थी के आवागमन का कोई साधन नही है, जिससे प्रार्थी को अपने [illegible] से संबंधित सभी का[illegible] आये दिन व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे प्रार्थी को खेत में रास्ता मौजूद नही होने से आये दिन असुविधा व नुकसान का सामना करना पड़ता है, प्रार्थी के खेत के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1208/645 में रास्ता निकालने बाबत अप्रार्थी सं. 3 ता 8 के पिता रूघाराम के पक्ष में एक बेचाननामा पंजियन करवाया था,जो कि दिनॉक 24.11.2014 को पंजीयन करवाया था, जिसका पंजियन उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 264 में पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 2014004859 पर दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता रूघाराम ने एक इकरारनामा इसी दिनॉक को लिखित किया था, जिसमें शेषमा का बास के खसरा नम्बर 173 कुल रकबा 1.55 हैक्टर व खसरा नम्बर 174 रकबा 2.61 हैक्टर में से बाबत 0.1537 हैक्टर रास्ते के बदले भूमि देने के बदले इकरारनामा किया था, अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 के पिता के नाम बेचाननामा करवाने के बाद अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता की मृत्यु होने पर ना नुकर करने लगे एवं आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया, जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है,ग्राम शेषमा का बास के खसरा नम्बर 172 रकबा 1.25 हैक्टर जो कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की भूमि है तथा खेत खसरा नम्बर 256/175 रकबा 1.95 हैक्टर भूमि जो कि अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 की है। उक्त खसरों नम्बरो के खेत की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता ग्राम औमपुरा (कुकनवाली) के प्रार्थी के खसरा नम्बर 1208/645 में जाने हेतु रास्ता कायम कराने हेतु प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ता कायम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1208/645 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को राजकीय निर्धारित मुआवजा राशि देकर व अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 को भूमि के बदले भूमि देने से रास्ता तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 9 को आदेश प्रदान करावे एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 द्वारा सहमत न होने पर इसके बावजूद भी नियमानुसार मुआवजा राशि अप्रार्थी सं. 3 ता 8 को देने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके हक हिस्से में भूमि जो कम होगी उसके लिए प्रार्थी से मुआवजा रोकड़ी प्राप्त कर लिया है तथा अब उन्हे रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नही है तथा प्रार्थी को चाही गई रास्ते के उपयोग की भूमि दी जावें जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब के हवाले से सहमति प्रदान की है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी के पास में खसरा नम्बर 641, 646, 1123/645 में रास्ता नजदीक लगता है, पैरा संख्या [illegible] में अंकित तथ्य मनगढ़ंत एवं बनावटी होने से अस्वीकार है, जबकि उक्त भूमि का बेचान बताया जा [illegible] ह तो रोकड़ी रूपये देकर खरीदी गई है, जमीन के बदले या रास्ते के बदले नही [illegible] है यह कथन मिथ्या किये गये है उस पर भी बेचान करके ऋण लिया गया है,उक्त भूमि में कोई रास्ता नही है तथा कभी रास्ता रहा भी नही ,पैरा सं. 7 अनुसार उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1208/645 के नजदीक खसरा नम्बर 641 646 1123/645 का खेत रास्ता लगता है जो कि उक्त चाहे गये रास्तो से नजदीक रास्ता है उक्त चाहा गया रास्ता हमारी खातेदारी भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 256/175 जो उत्तदाता की खातेदारी भूमि रही है जिसमें कभी रास्ता नही रहा है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए उपधारा (2) में स्पष्ट लिखा है कि जहॉ नजदीक में कोई रास्ता लगता हो उसी में से दिया जा सकता है रास्ता पक्षकारा व प्रार्थी की सुविधा के अनुसार कभी भी नही किया जा सका है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विशेष कथन व आपत्ति में अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने कथन किया है कि शेषमा का बास की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 256/175 रकबा 1.95 हैक्टर भूमि उत्तरदाता की काबिज सह खातेदारी की दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक वाद प्रार्थना–पत्र सं. 99/14 का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा 15.06.2016 को पारित किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ प्रस्तुत की गई। वहॉ उक्त अपील को अपास्त किया गया, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहॉ अपील आज दिन तक विचाराधीन है, इस प्रकार एक ही खेत में से प्रार्थी ने दो रास्ते के प्रार्थना–पत्र दायर कर रखे है जबकि उक्त पूर्व में पारित निर्णय की पालना की गइ है जिसका अमल दरामद आज भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थी द्वारा नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी के नजदीक खेत खसरा नम्बर 641, 646, 1123/645 रास्ता लगता है जो कि स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे उससे स्पष्ट हो जायेगा, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिन्होने अपने पत्रांक/भू.अ./2021/1429 दिनॉक 12.08.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1208/645 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 172 में लम्बाई 100 X 5 चौड़ाई खसरा नम्बर 256/175 की लम्बाई 120 X 5 चौड़ाई कुल रास्ते की 500 + 600 = 1100 वर्ग मीटर भूमि आती है दोनो खसरो में छोटे बड़े पेड़ मौके पर नही है, खसरा नम्बर 172 एवं 256/175 दोनो खसरान शेषमा का बास ग्राम के है।

दोनो पक्षो की ओर से चालू जमाबंदी नकले एवं नक्शा ट्रेस की प्रतिया प्रस्तुत की तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने गत प्रार्थना पत्र सं. 99/2014 मोहनी देवी बनाम केसी देवी वगैरह मे पारित आदेश 15.06.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण कानाराम बनाम औंकराराम की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्त[illegible] स सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों क[illegible] के खसरा नम्बर 1208/645 रकबा 2.47 हैक्टर में आमद र[illegible] का बास के खसरा नम्बर 256/175 रकबा 1.95 हैक्टर में से तथा खसरा नम्बर 172 [illegible]बा 1.25 हैक्टर में से चाहे गये नजरी नक्शा एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलाया जावे जिसके लिए प्रार्थी मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 3 से 8 ने उपरोक्त खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बरान में से चाहे गये रास्ते बाबत प्रकरण गलत बताया है तथा पूर्व प्रार्थना–पत्र सं. 99 / 2014 मोहनी देवी बनाम केसी देवी वगैरह में पारित आदेश अनुसार 15.06.2016 को रास्ता दिया जा चुका है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 641, 646, 1123 / 645 प्रार्थी की भूमि के नजदीक लगते खसरे है उनमें से रास्ता दिया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 172 में से रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि के बदले रोकड़ी रूपये प्राप्त कर लिये है तथा उसके हिस्से में से जा रही रास्ते की भूमि दिये जाने हेतु सहमती प्रदान की है। अप्रार्थी 3 ता 8 अनुसार गत प्रार्थना–पत्र 99 / 2014 मोहनी देवी बनाम केसी देवी वगैरह में पारित आदेश अनुसार 15.06.2016 के द्वारा रास्ता दिया जाना बतलाया है तथा वर्तमान में उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होना बताया है,उक्त प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अकेल अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के पिता रूघाराम ही पक्षकार नही होकर अन्य खातेदार / पक्षकार है तथा वतवक्त रूघाराम द्वारा इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थना–पत्र में अंकित चाहे गये रास्ते बाबत सहमती प्रदान की थी उक्त प्रकरण खसरा नम्बर 645 एवं 173 से संबंधित था जबकि यह प्रार्थना पत्र उक्त दोनो खसरान की भूमि से संबंधित नही है।

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तु त मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.08.2021 अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 1208 / 645 में आने जाने के लिए ग्राम शेषमा का बास के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 172 में लम्बाई 100 X 5 चौड़ाई, खसरा नम्बर 256 / 175 की लम्बाई 120 X 5 चौड़ाई, कुल रास्ते की 500 + 600 = 1100 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी में से कम की जाकर रास्ते के उपयोग हेतु आदेश दिये जाने उचित प्रतीत होते है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने एवं अपने ट्रेक्टर मवेशीयो को भी नही ले जाया जा सकता है इस कारण अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1208 / 645 में आमद रफत हेतु ग्राम शेषमा का बास के खसरा नम्बर 256 / 175 एवं 172 में से होकर रास्ता चाहिए जिसके लिय डी.एल.सी. दर से मुआवजा प्रार्थी अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी 1 एवं 2 के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी ने कथन किया है कि उन्होने रास्ते के लिए मुआवजा नकद रूप में प्राप्त कर ली है तथा अब किसी प्रकार का मुआवजे की जरूरत नही है, अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अस्वीकार किया है जिसे मुआवजा राशि डी.एल.सी.दर अनुसार देय है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने एवं रिपोर्ट इत्यादि से भी प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उक्त विवेचन से काबिल स्वीकार होने पर स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेश पारित किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

ग्राम औमपुरा पटवार मण्डल कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1208 / 645 रकबा 2.47 हैक्टर मे आने जाने व आमद रफत हेतु ग्राम शेषमा का बास के

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 256/175 में 120 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौड़ाई (**120 X 5 = 600**) वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 172 में 100 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौड़ाई (**100 X 5 = 500**) वर्ग मीटर मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.08.2021 में अंकित अनुसार रास्ता सरकारी (कटाणी) कायम किया जाता है । उक्त जमीन की डी.एल.सी दर 178780/–रूपये प्रति हैक्टर से (178780 **X**0.0600मीटर) 10727/– का दोगुना अर्थात 21454/–रूपये अक्षरे इक्कीस हजार चार सो चौवन रूपये प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की मुआवजा राशि जरिये बैंक डी.डी./बैंक ड्राफट बैंक से जमा कराकर पेश करने पर तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने तहरीर जारी हो । उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 3 से 8 न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें । अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा सहमति प्रदान करने से उन्हे (ग्राम शेषमा का बास के खसरा नम्बर 172 में 100 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौड़ाई (**100 X 5 = 500**) वर्ग मीटर) किसी प्रकार की मुआवजा राशि देय नही है। तहसीलदार कुचामनसिटी उपरोक्तानुसार उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 28/01/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

आ फ़ि २४
12/8/2021

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/भू अ./2021/1429 दिनांक – 12.08.2021

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2021 औंकारराम जाट बनाम मंगली नायक वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A आर.टी.एक्ट रास्ता बाबत् में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोट/2021/825 दिनांक 20.04.2021

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2021 औंकारराम जाट बनाम मंगली नायक वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A आर.टी.एक्ट रास्ता बाबत् ग्राम ओमपुरा के खसरा नम्बर 1208/645 व प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक पांचवा द्वारा तैयार करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – मूल मौका रिपोर्ट

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं रामावतार वर्मा (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त पांचवा, कार्यालय, तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक 283/21 दिनांक 8-7-21 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 21.8.21 समय 10:40 बजे आराजी खसरा नम्बर-1208/645 वाके ग्राम ओमपुरा पटवार मंडल कुकनवाली पर श्री रामेश्वर लाल पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	ओंकारराम	पु. डूंगाराम	39	जाट	प्रार्थी

राजस्व

03-8.21

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :-

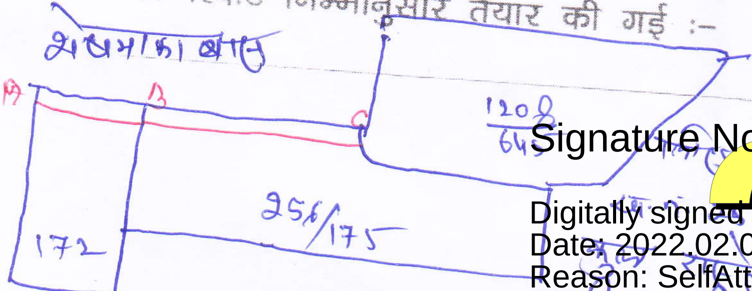

ख.नं. 1208/645 में आने जाने के ... 172 में लम्बाई 100 × 5 चौड़ाई ... लम्बाई 120 × 5 चौड़ाई 500 + 600 = 1100 वर्गमीटर ... आती है। दोनों खसरान में छोटे बड़े पेड़ मौके पर नहीं है। ख.नं. 172 व 256/175 दोनों खसरान शेषमाकाबास गुजर के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरान को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	ओंकारराम	S/o डूंगाराम	जाट उम्र 39	ओंकार	प्रार्थी
2.	हेमाराम	S/o भेरूराम	मेघवाल उम्र 28	हेमाराम	
3	जगदीश	s/o रामपाल	जाट उम्र 35	जगदीश	

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	हेमाराम	S/o भेरूराम	28	मेघवाल	9664293345
2,	जगदीश	s/o रामपाल	35	जाट	8094472529

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:38:56 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक 2/8/2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

02/08/2021
हस्ताक्षर
पटवारी
प. सं.

हस्ताक्षर
2/8/2021
भू. अ. निरीक्षक
वृत